न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 89/2020 **GCMS No-2020/00184** बउनवानी मनोज कुमार जैन **बनाम** सू.अधि.एवं तहसीलदार बौंली निवासी नेहा विला महावीर मार्ग, बौंली

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
12.01.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना एवं तहसीलदार बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 26.10.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. यह है कि ग्राम रवासा पटवार हल्का बांस टोरडा, तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर के गत खसरा नम्बर 19/1 के नवीन खसरा नम्बर 50/824 श्रीमति शर्मिला जैन, 50/825 श्रीमति प्रेमलता जैन, 50/826, श्रीमति प्रीति जैन सभी निवासी बौंली की 1–1 बीघा भूमि एवं 50/827 श्रीमति चांद देवी रूरल डवलमेंट एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी बौंली 7 बीघा भूमि की डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत सेग्रीगेशन के तहत गलत तरमीम करने के बाबत पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में शामिल दस्तावेजों की प्रमाणित नकल 3 प्रति में उपलब्ध करानी है। उक्त पत्रादि के आधार पर गत पटवार लटठा एवं नवीन पटवार लटठा में परिवर्तन किया गया है। उक्त पत्रावली पर श्रीमान उप जिला कलेक्टर बौंली द्वारा सेग्रीगेशन के आदेश किये गये है। पत्रावली श्रीमान उप जिला कलेक्टर बौंली एवं श्रीमान तहसीलदार महोदय बौंली के कार्यालय में उपलब्ध है। (सेग्रीगेशन आदेश सहित उक्त प्रकरण बाबत सम्पूर्ण पत्रावली की नकले देनी है) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक भू.अ./2020/646 दिनांक 29.12.2020 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट को चाही गयी सूचना कुल 60 पृष्ठों की जरिये पत्रांक भू.अ./2020/4357 दिनांक 24.12.2020 से भिजवायी गयी जो दिनांक 28.12.2020 को उसके भाई को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। चूंकि चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.10.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना कुल 60 पृष्ठों की तहसीलदार बौली के पत्रांक भू.अ./2020/4357 दिनांक 24.12.2020 से अपीलान्ट को भिजवायी गयी थी जो दिनांक 28.12.2020 को उसके भाई द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी गयी सूचना [illegible]न्ट द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति भी न्यायालय मे प्रस्तुत नही की गयी है इसलिये अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी गयी सूचना से अपीलान्ट संतुष्ट है। उक्त [illegible] तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवायी जाना स्पष्ट हो जाता है। इसलिए अपील अ[illegible] खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible]म हो एवं बाद तकमील [illegible]ल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Rajendra Kishan Date: 2021.06.09 17:34:24 IST Reason: SelfAttested (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर